इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 497] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2020—पौष 7, शक 1942

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 2-6-2020-बाईस-पं.-1.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक, सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर, 2013 द्वारा पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में, उपनियम (1) के खण्ड (क) में, शब्द ''भूमि विकास तथा संरक्षण'' के स्थान पर, शब्द ''भूमि विकास तथा संरक्षण, जैव विविधता का प्रोत्साहन, संरक्षण, अविरत उपयोग और दस्तावेजीकरण एवं उनका मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड की तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन के अनुसार प्रबंधन'' स्थापित किए जाएं.

No. F. 2-6-2020-XXII-P-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 of the Madhya Pradesh Panchyat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Gram Panchyat (Term of Office of Members of Standing Committee and Procedure for the conduct of Business) Rules, 1994, the same has been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, in the Madhya Pradesh Gazette, dated 12th November, 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Rule 3, in sub-rule (1), in clause (a), for the words "land development and protection'', the words "land development and protection, promoting conservation, sustainable use and documentation of biological diversity and management thereof according to the technical support and guidance of the Madhya Pradesh Biodiversity Management Board'' shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभा निकुंम, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.